प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
रिट याचिका [सेवा] संख्या 6386/2008

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

याचिकाकर्ता
डॉ. एल.एस. निगम

बनाम

उत्तरवादी
छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28 जनवरी को सूचीबद्ध करें।

सही /-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
29.012009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
रिट याचिका [सेवा] संख्या 6386/2008
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

याचिकाकर्ता डॉ. एल.एस. निगम, पुत्र स्वर्गीय श्री जी.पी. निगम, आयु लगभग 59 वर्ष, प्राध्यापक प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व के प्राध्यापक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी 1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डीकेएस भवन, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
2. कुलाधिपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर [छत्तीसगढ़]
3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, द्वारा कुलसचिव रायपुर [छत्तीसगढ़]
4. डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर [छत्तीसगढ़]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:
श्री कनक तिवारी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा वरुण शर्मा अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए
श्री अरुण साव, विद्वान शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए
श्री प्रमोद वर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा अधिवक्ता श्री राघवेंद्र वर्मा उत्तरवादी संख्या 2, 3 और 4 के लिए

आदेश

(28 जनवरी, 2009 को पारित)

धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख में लेने के आवेदन, **IA** संख्या 04 पर सुना गया।

2. विरोध नहीं।

3. आवेदन (**IA** संख्या 04) स्वीकार किया जाता है। दस्तावेजों को अभिलेख में लिया जाता है।

4. यह याचिका दिनांक 13.10.2008 (अनुलग्नक **P**/1) के उस आदेश के विरुद्ध है जिसके तहत याचिकाकर्ता को विभागीय जाँच लंबित रहने तक प्राध्यापक (प्राचीन भारतीय इतिहास) के पद से निलंबित कर दिया गया था।

5. याचिकाकर्ता का मामला, संक्षेप में, यह है कि उसे उत्तरवादी संख्या 3/विश्वविद्यालय द्वारा 20 सितंबर, 2003 को प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएँ 20 सितंबर, 2005 से स्थायी कर दी गईं। उत्तरवादी संख्या 4 ने मई, 2005 से विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया। कुलपति बनने के बाद, उत्तरवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता के प्रति दुर्भावना पाल ली। उन्होंने इतिहास विभाग को प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में विलय करने का प्रस्ताव रखा। याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित विलय के विरुद्ध एक असहमति नोट प्रस्तुत किया। कुलपति ने याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के विधि प्रकोष्ठ के प्रभारी पद से हटा दिया। याचिकाकर्ता ने कुलपति के कहने पर 15.4.2007 को हुई अकादमिक परिषद की बैठक में वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के एक संस्थान को उत्तरदाता/विश्वविद्यालय के शोध केंद्र के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव का भी विरोध किया और यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। उपरोक्त कारणों से, कुलपति ने याचिकाकर्ता को विभागाध्यक्ष के पद से हटा दिया जिस पर वह अपनी नियुक्ति की तिथि से ही पदस्थ थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता को पर्यटन एवं होटल प्रबंधन संस्थान के प्रभार से भी हटा दिया गया। इसके बाद, कुलपति ने अकादमिक परिषद का एक और प्रस्ताव पेश किया, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि कुछ विषयों के स्नातकोत्तर उपाधि धारक किसी अन्य विषय में शोध नहीं कर सकते या अपनी डॉक्टरेट थीसिस प्रस्तुत नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने इस प्रस्ताव पर भी अपनी असहमति दिखाई और मामला अकादमिक परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को भेज दिया गया।

7. कुलपति के कहने पर याचिका को जगदलपुर स्थित उड़नदस्ते में तैनात कर दिया गया और उन्हें 48 घंटे के भीतर जगदलपुर में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने हस्तक्षेप किया और कुलपति को जगदलपुर स्थित उड़नदस्ते में याचिकाकर्ता की सेवाएँ तैनात करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता और कुछ अन्य शिक्षकों ने कुलपति द्वारा अध्यादेश संख्या 45 में अनावश्यक संशोधन के प्रयास का विरोध जारी रखा। कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति के संबंध में, कार्यकारी परिषद की बैठक में भी प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका और उपरोक्त कारणों से, याचिकाकर्ता को आक्षेपित आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया।

8. उत्तरवादी संख्या 3 एस/विश्वविद्यालय ने अपने जवाब में याचिका में निहित प्रतिकूल आरोपों का खंडन किया है। यह आरोप भी खारिज किया गया है कि कुलपति ने अकादमिक परिषद में याचिकाकर्ता के रुख के कारण उसके प्रति द्वेष रखा था। यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को सी.जी. विश्वविद्यालय अधिनयम, 1973 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 15 की उपधारा (4) के तहत आपातकालीन शक्ति प्राप्त है और इस शक्ति में विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को निलंबित करने की शक्ति भी शामिल है। उत्तरवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया है कि शैक्षणिक परिषद में प्रस्तुत प्रस्तावों को परिषद के सदस्यों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल है, के विरोध के कारण लागू नहीं किया जा सका, लेकिन इस आधार पर दुर्भावनाओं के आरोप का विशेष रूप से खंडन किया गया है।

9. उत्तरवादी संख्या 3 ने यह भी स्वीकार किया है कि कार्यकारी परिषद की बैठक 13.10.2008 को हुई थी, जिस दिन याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था। हालाँकि, यह कहा गया है कि उक्त बैठक एक स्थगित बैठक थी, जिसमें सामान्यतः कोई नया मामला नहीं लिया जा सकता था। यह भी कहा गया है कि चूँकि याचिकाकर्ता उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए उसने आदेशों का पालन नहीं किया और उसने कुलाधिपति के समक्ष उड़न दस्ता में अपनी नियुक्ति के खिलाफ अपने अभ्यावेदन में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एक प्राध्यापक के लिए अनुचित भाषा का प्रयोग किया। जगदलपुर में और उन्होंने विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा आयोजित प्रदर्शन में भाग लिया था, इसलिए उन्हें आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित कर दिया गया है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कनक तिवारी, श्री वरुण शर्मा, अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए, ने दृढ़ता से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का निलंबन द्वेष से प्रेरित है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। याचिका दायर करने के बाद, याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है। आरोप-पत्र के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोप-पत्र याचिकाकर्ता द्वारा 10.3.2008 और 12.4.2008 के बीच किए गए कथित कदाचार का उल्लेख करते हुए जारी किये गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता को 13.10.2008 को अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के तहत आपातकालीन शक्तियों के कथित प्रयोग पर बिना किसी आपात स्थिति का उल्लेख किए निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी कार्यकारी परिषद है। हालाँकि, 13.10.2008 को कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई उस तारीख को कार्यकारी परिषद के समक्ष नहीं रखी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करने से पहले, कुलपति को यह राय दर्ज करनी होगी कि ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। हालाँकि, आक्षेपित आदेश के मात्र अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली आपात स्थिति का कोई उल्लेख तक नहीं है। आदेश में यह भी उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता का निलंबन अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अंतर्गत है। आपातकालीन प्रावधान का पूर्णतः उल्लंघन है, जो यह अनिवार्य करता है कि अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अंतर्गत की गई कार्रवाई को सामान्य क्रम में मामले से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी (अर्थात, कार्यकारी परिषद) के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालाँकि, मामला कार्यकारी परिषद के समक्ष नहीं रखा गया, जो कि उसी तिथि को बुलाई गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 15 की

उपधारा (4) के तीसरे प्रावधान के अनुसार आपातकालीन शक्ति नियुक्तियों से संबंधित किसी भी मामले तक विस्तारित नहीं होती है। छत्तीसगढ़ साधारण खंड अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, नियुक्ति करने की शक्ति, निलंबन और बर्खास्तगी की शक्ति भी प्रदान करती है।

12. उत्तरवादी के तर्क को खारिज करते हुए, श्री तिवारी ने बताया कि 1991 के संशोधन अधिनियम के तहत, अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के तीसरे परंतुक में निहित "अनुशासनात्मक कार्रवाई" शब्द को बाद में 1994 के संशोधन द्वारा विलोपित कर दिया गया क्योंकि पहले की अभिव्यक्ति का कोई सामंजस्यपूर्ण उपयोग नहीं था और "अनुशासनात्मक कार्रवाई" शब्द अनावश्यक था। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण, याचिकाकर्ता का अनुशासनात्मक प्राधिकारी है, जबकि श्रेणी-**III**, श्रेणी-**IV** और अन्य कर्मचारियों के मामले में, कुलसचिव नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी है। यदि अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के दूसरे परंतुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले कुलपति को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुमति दी जाती है, तो कार्यकारी परिषद सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अपीलीय प्राधिकारी बन जाती है, जो अधिनियम के स्पष्ट प्रावधान और बनाए गए क़ानून के विरुद्ध है। इसके अंतर्गत कार्यकारी परिषद, याचिकाकर्ता का नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते, उसे स्वयं अपीलीय प्राधिकारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि कुलपति पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए और कुलपति के पास इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ हैं। इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान कुलपति के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है कि परिनियम 31 के साथ परिनियम 51 का ईमानदारी से पालन किया जाए। हालाँकि, धारा 15 की उप-धारा (4) के तहत आपातकालीन शक्ति के कथित प्रयोग में याचिकाकर्ता को निलंबित करके, कुलपति ने वास्तव में उपरोक्त प्रावधानों को निरर्थक बना दिया है। कुलपति ने 28.11.2008 को कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाई और

याचिकाकर्ता का मामला प्रस्तुत किया, लेकिन इसे कार्यकारी परिषद द्वारा कभी भी अनुमोदित या अनुसमर्थित नहीं किया गया। इस बीच, कुलपति के कहने पर विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 24-11-2008 का आरोप पत्र जारी किया गया है और आरोप पत्र कार्यकारी परिषद द्वारा भी अनुमोदित नहीं है

14. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय बनाम शेषराव बलवंत राव चव्हाण[1] के मामलों में दिए गए निर्णय अवलंब लिया जा रहा है।

15. दूसरी ओर, श्री पी.के. वर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री राघवेंद्र वर्मा, अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 2, 3 और 4 की ओर से उपस्थित, ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 15 कुलपति की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 15 की उप-धारा (4) कुलपति को आपातकालीन स्थिति में शक्ति प्रदान करती है। यह कुलपति पर यह कर्तव्य भी डालती है कि वह अपने कार्य की सूचना कार्रवाई के बाद यथाशीघ्र अवसर पर ऐसे अधिकारी, प्राधिकरण, समिति या अन्य निकाय को दे, जो ऐसे मामले से सामान्य रूप से निपटने के लिए सक्षम हो। याचिकाकर्ता के निलंबन का आदेश कार्यकारी परिषद की दिनांक 28.11.2008 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता को निलंबन आदेश की सूचना मिलने के तीस दिनों के भीतर कुलपति के कृत्य के विरुद्ध अपील करने का वैधानिक अधिकार था। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के दूसरे परंतुक के तहत उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपचार का उपयोग किए बिना ही इस न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यह भी तर्क दिया गया है कि 1994 के संशोधन से पहले, धारा 15 की उप-धारा (4) के तीसरे परंतुक में यह प्रावधान था कि कुलपति की आपातकालीन शक्ति अनुशासनात्मक कार्रवाई या नियुक्ति के मामलों में लागू नहीं होगी, लेकिन "अनुशासनात्मक कार्रवाई या" शब्द को 1994 के संशोधन अधिनियम संख्या 19 द्वारा जानबूझकर विलोपित कर दिया गया है, इस प्रकार, अनुशासनात्मक कार्रवाई कुलपति की आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत आ गई है। याचिकाकर्ता के निलंबन से संबंधित मामला कार्यकारी परिषद की 28.11.2008 की बैठक में रखा गया था और चूँकि कार्यकारी परिषद ने मामले को कुलाधिपति को नहीं भेजा था,

1 (1989) 3 SCC 132

जैसा कि धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रावधान किया गया है और चूँकि याचिकाकर्ता द्वारा अपने निलंबन के विरुद्ध कार्यकारी परिषद के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की गई है, इसलिए अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के तहत कुलपति द्वारा याचिकाकर्ता का निलंबन माना जाएगा। अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (6) के अनुसार, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात कार्यकारी परिषद द्वारा की गई कार्रवाई मानी जाएगी।

17. यह भी तर्क दिया गया कि चूँकि मामला अब कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, जैसा कि धारा 15 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अपेक्षित है और कार्यकारी परिषद ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और उसे कुलाधिपति को नहीं भेजा है, आपातकालीन शक्ति के प्रयोग में किसी भी अनियमितता के बावजूद, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 15 के मान्य प्रावधान के अनुसार कार्यकारी परिषद द्वारा निलंबित किया जाता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को 24.11.2008 को ही आरोप पत्र दिया जा चुका है, इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए आरोपों का उत्तर देना और उचित बचाव प्रस्तुत करने का अवसर है, यह तर्क देते हुए कि निलंबन दुर्भावना से प्रेरित है। चूँकि आरोप पत्र निलंबन के बाद जारी किया गया है, इसलिए इसे तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

19. याचिकाकर्ता ने अपने निलंबन आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है:

(I) यह कि कुलपति की आपातकालीन शक्ति विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को निलंबित करने की शक्ति तक विस्तारित नहीं होती है,

(II) यह कि भले ही यह माना जाता है कि कुलपति के पास अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को निलंबित करने की आपातकालीन शक्ति है, फिर भी इसका प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता को निलंबित करने की तिथि तक कोई आपातकालीन स्थिति मौजूद नहीं थी।

20. श्री कनक तिवारी ने जोरदार तर्क दिया कि धारा 15 की उपधारा (4) का तृतीय परन्तुक नियुक्ति से संबंधित मामले को भी अलग कर देता है। साधारण खंड अधिनियम की धारा 16 का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि जहाँ कोई अधिनियम किसी प्राधिकारी को नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है, तो वह प्राधिकारी को अपने द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को निलंबित या बर्खास्त करने का भी अधिकार देता है।

21. इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या विधायिका का इरादा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के तीसरे परंतुक से "अनुशासनात्मक कार्रवाई" शब्द को विलोपित करने का था, पूर्व अभिव्यक्ति को सामंजस्यपूर्ण रूप देना था क्योंकि "नियुक्ति" शब्द अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी प्रेरित करता है और "अनुशासनात्मक कार्रवाई" शब्द अनावश्यक था, या यह विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में कुलपति को आपातकालीन शक्ति प्रदान करने के आशय से था?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. माननीय न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय) द्वारा लिखित वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, आठवां संस्करण, 2001 में, "हेडन के मामले में नियम; उद्देश्यपूर्ण सरंचना :रिष्टि का नियम" का संदर्भ है, जिसके अंतर्गत यह इस प्रकार देखा गया है:

> "जब सारवान शब्द दो या अधिक निर्वचनों को धारण करने में सक्षम हों, तो ऐसे शब्दों की सरंचना के लिए सबसे दृढ़ स्थापित नियम "सामान्य रूप से सभी क़ानूनों (चाहे वे दंडात्मक हों या लाभकारी, प्रतिबंधात्मक हों या सामान्य विधि का विस्तार करने वाले)" हेडन के मामले में निर्धारित नियम है, जिसने अब एक क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। यह नियम, जिसे 'उद्देश्यपूर्ण निर्वचन ' या 'रिष्टि का नियम' के रूप में जाना जाता है, किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय चार बातों पर विचार करने में सक्षम बनाता है:
>
> (i) अधिनियम के सरंचना से पहले विधि क्या थी,

(ii) वह कौन सी रिष्टि या दोष था जिसके लिए विधि में प्रावधान नहीं था,

(iii) अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया उपचार क्या है, और

(iv) उपचार का कारण क्या है। फिर नियम निर्देश देता है कि न्यायालयों को वह सरंचना अपनाना चाहिए जो "रिष्टि को दबाए और उपचार को आगे बढ़ाए"।

23. इसमें कोई विवाद नहीं है कि जो प्राधिकारी किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए सक्षम है, वह उस व्यक्ति का अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी है जिसे नियुक्त किया गया है। वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति सामान्यतः कार्यकारी परिषद के पास है। हालाँकि, विधानमंडल ने कुलपति को आपातकालीन स्थिति में अपने दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आपातकालीन शक्ति प्रदान की है। धारा 15 की उपधारा (4) का तृतीय परन्तुक 23वें संशोधन, 1991 द्वारा अधिनियम में जोड़ा गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आपातकालीन शक्ति और नियुक्ति से संबंधित मामलों को कुलपति की आपातकालीन शक्ति से बाहर कर दिया गया। हालाँकि, "अनुशासनात्मक कार्रवाई" शब्द को अधिनियम से विलोपित कर दिया गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई शब्द के हटाए जाने से निकाला गया एकमात्र अनुमान यह है कि कुलपति को आपातकालीन स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। हालाँकि, कर्मचारियों/अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिए, कुलपति पर यह कर्तव्य डाला गया है कि वह आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा की गई कार्रवाई को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि कार्रवाई किए जाने के बाद शीघ्रतम अवसर पर मामले को सामान्य क्रम में निपटाया जा सके, और ऐसे प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि वह इस प्रकार की गई कार्रवाई को स्वीकार नहीं करता है, तो वह उसे कुलाधिपति को संदर्भित कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में कुलपति को आपातकालीन शक्ति प्रदान करने के प्रावधान का उद्देश्य यह है कि कार्यकारी परिषद की बैठक, जिसमें बड़ी संख्या में सदस्य

शामिल हैं, विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल आचरण में लिप्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अल्प सूचना पर नहीं बुलाई जा सकती है और इसलिए, यह शब्द अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के तीसरे परंतुक से "अनुशासनात्मक कार्रवाई" शब्द को जानबूझकर विलोपित कर दिया गया है।

25. जहाँ तक श्री तिवारी के इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता का कार्यकारी परिषद में अपील करने का अधिकार छीन लिया गया है क्योंकि उसे अपीलीय प्राधिकारी बना दिया गया है, धारा 15 की उपधारा (4) के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आपातकालीन शक्ति के तहत की गई कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र कार्यकारी परिषद को दी जानी चाहिए और यदि वह कार्रवाई को अनुमोदित नहीं करती है, तो उसे कुलाधिपति के पास भेजा जाना चाहिए और यदि कार्यकारी परिषद द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को वैधानिक प्रावधान के अनुसार कुलाधिपति के समक्ष अपील करने का अधिकार है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि धारा 15 की उपधारा (4) के तहत दी गई शक्ति अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में लागू नहीं होती है, स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अब, अगले तर्क के संबंध में कि चूँकि संबंधित समय पर आपातकालीन शक्ति के प्रयोग हेतु कोई आपात स्थिति मौजूद नहीं थी, कुलपति की कार्रवाई वास्तव में दुर्भावना से प्रेरित थी। आरोप संख्या 1 दिनांक 10.3.2008 के एक पत्र से संबंधित है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने कुलपति द्वारा औचक निरीक्षण करने हेतु गठित उड़नदस्ते के सदस्य के रूप में कार्य करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। आरोप संख्या 2 दिनांक 10.3.2008 के एक पत्र से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध दुर्भावना और पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है। आरोप संख्या 3 दिनांक 10.3.2008 के एक पत्र से भी संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं; और आरोप संख्या 4 दिनांक 10.3.2008 के उनके पत्र से भी संबंधित है जिसमें कुलपति के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों के सामान आरोप लगाए गए हैं। आरोप संख्या 5 याचिकाकर्ता द्वारा परीक्षा ड्यूटी से बचने के लिए अर्ध-वेतन अवकाश लेने और

शिक्षक संघ की बैठक में भाग लेने के संबंध में है, आरोप संख्या 6 याचिकाकर्ता के पिछले वर्षों के आचरण से संबंधित है क्योंकि निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर नहीं पाए गए, जबकि आरोप संख्या 7 उसके दिनांक 15.10.2007 के पत्र से संबंधित है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित सभी कदाचार कथित तौर पर उसके द्वारा कुलपति द्वारा आपातकालीन शक्ति के कथित प्रयोग के तहत उसके निलंबन की तारीख से छह महीने से भी पहले किए गए थे।

27. याचिका में दिए गए कथनों और विश्वविद्यालय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता शैक्षणिक परिषद के सदस्यों में से एक था, उसने कुलपति के कहने पर शैक्षणिक परिषद में पेश किए गए कुछ प्रस्तावों का सफलतापूर्वक विरोध किया था; उसे विश्वविद्यालय द्वारा विभागाध्यक्ष और कुछ अन्य पदों के प्रभार से हटा दिया गया था, और उसे उड़नदस्ते का सदस्य भी बनाया गया था। मार्च, 2008 में जगदलपुर में औचक निरीक्षण करने के लिए दस्ते का गठन किया गया था। याचिकाकर्ता ने कुलाधिपति से संपर्क किया था और उन्हें उड़नदस्ते में शामिल किए जाने के खिलाफ कुछ पत्र लिखे थे, जिनमें विश्वविद्यालय प्रशासन और विशेष रूप से कुलपति के खिलाफ, उन्हें जगदलपुर में उड़नदस्ते का सदस्य बनाने के लिए, उनकी इच्छा, पूर्वाग्रह और दुर्भावना का आरोप लगाया गया था। यह भी स्पष्ट है कि उस समय उड़नदस्ते का सदस्य बनने से इनकार करने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और उसके केवल छह महीने बाद, उन्हें कुलपति द्वारा पारित अनुलग्नक **P**/1 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था। हालाँकि, आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि निलंबन अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के तहत आपातकालीन शक्ति के प्रयोग में है। हालाँकि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि उनसे संबंधित मामला 28.11.2008 को बुलाई गई कार्यकारी परिषद की बैठक में रखा गया था, फिर भी, उन्होंने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुलपति की कार्रवाई को कोई अनुमोदन नहीं दिया गया।

28. उपरोक्त निर्विवाद तथ्यों से, बिना किसी हिचकिचाहट के यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 13.10.2008 को जब याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 15 की उपधारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) के तहत आपातकालीन शक्ति के कथित प्रयोग में निलंबित किया गया था, वास्तव में, ऐसी कोई आपात स्थिति मौजूद नहीं थी जिसके लिए आपातकालीन शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो। यह निर्विवाद तथ्य कि उसी तिथि को कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाई गई थी और उक्त बैठक में याचिकाकर्ता से संबंधित मामला नहीं रखा गया था, याचिकाकर्ता के इस आरोप को भी स्थापित करता है कि अधिनियम की धारा 15(4) का पूर्णतः उल्लंघन हुआ है।

29. जहाँ तक उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वर्मा का तर्क है कि आपातकालीन शक्ति के प्रयोग में किसी भी अनियमितता के बावजूद, चूँकि मामला 28.11.2008 को कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा गया था और उसने इसे कुलाधिपति के पास नहीं भेजा था, इसलिए याचिकाकर्ता का निलंबन कार्यकारी परिषद द्वारा पारित माना जाता है, जहाँ तक कुलपति का संबंध है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य है कि अधिनियम, संविधि, अध्यादेश और विनियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए और जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सशक्त है, उसने स्वयं एक वरिष्ठ प्राध्यापक को बिना किसी आपात स्थिति के आपातकालीन शक्ति के कथित प्रयोग में निलंबित कर दिया है, तो यह न्यायालय यह अनुमान निकालने के लिए बाध्य है कि कुलपति की कार्रवाई

दुर्भावना से प्रेरित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के कुलपति की भूमिका को रेखांकित किया है। उपरोक्त निर्णय का अनुच्छेद-19 इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

> "19. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति इस प्रकार विश्वविद्यालय का नैतिक रक्षक और संवैधानिक शासक होता है। वह विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होता है। उसे शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मामलों के समग्र प्रशासन की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है। इन उद्देश्यों के लिए, अधिनियम कुलपति को स्पष्ट और अनिवार्य दोनों प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करता है। इन

स्पष्ट शक्तियों में अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य शामिल है कि अधिनियम, क़ानून, अध्यादेश और विनियमों के प्रावधानों का सभी संबंधितों द्वारा पालन किया जाए [धारा II (3)]। कुलपति को विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षण एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य और आचरण को विनियमित करने का अधिकार है [धारा II (6)(a) J। उसके पास किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं [धारा II (4)]। धारा 11(4) के तहत प्रदत्त शक्तियाँ वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यदि कुलपति का मानना है कि किसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वह आवश्यक समझे जाने पर ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं, हालाँकि सामान्यतः वह यह कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं हैं। क्योंकि उन्हें संबंधित प्राधिकारी या निकाय को रिपोर्ट करना होगा, जो सामान्यतः मामले का निराकरण करते। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनका महत्वपूर्ण पद अंतर्निहित शक्ति भी रखता है। यह दंडात्मक शक्ति है, जिसका, हमारे विचार में, स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। यह शक्ति उनके लिए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मामलों में घरेलू अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शिक्षक और शिष्य के संबंध में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में, उन्हें अनुशासनहीनता और कदाचार को रोकने के लिए दृढ़ता और तत्परता से कार्य करना होगा। यह अवैध नहीं होगा यदि वह ऐसी सभी स्थितियों से निपटने के लिए अपनी निहित शक्तियों का तथा उपयोग कर सकें और साथ ही, ऐसी सभी स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियों का भी उपयोग कर सकें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कुलपति विश्वविद्यालय में संरक्षक और पिता है, वह विश्वविद्यालय के समग्र कल्याण के साथ-साथ उसके कर्मचारियों और छात्रों के लिए भी जिम्मेदार है। वह विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बनाए रखने के लिए भी

जिम्मेदार है और इस उद्देश्य के लिए, यह सुनिश्चित करता है कि परिसर में शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बना रहे। उसे शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मामलों के समग्र प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उपरोक्त उद्देश्यों के लिए, अधिनियम कुलपति को व्यक्त और निहित दोनों शक्तियाँ प्रदान करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को अपने ही कुलपति के खिलाफ उत्पीड़न और प्रतिशोधात्मक रवैये की शिकायत कुलाधिपति से करनी पड़ी है। इन परिस्थितियों में, मैं अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के तहत कुलपति द्वारा आपातकालीन शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

32. यह स्थापित विधि है कि किसी विशेष प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए भी ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु पुरोभाव्य शर्त मौजूद होनी चाहिए। हालाँकि, वर्तमान मामले में, आरोपित आदेश, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज़ों, जिनसे आरोप पत्र आग्रहित किया गया था, जो उसके निलंबन के बाद याचिकाकर्ता को जारी किया गया; और उत्तरवादियों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर के अवलोकन से, मैं यह मानने में असमर्थ हूँ कि याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए आपातकालीन शक्ति के प्रयोग हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ मौजूद थीं, जो कुलपति के लिए अधिनियम की धारा 15(4) के तहत आपातकालीन शक्ति की सहायता से उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए आकस्मिक हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरवादी संख्या 2/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी अनुलग्नक **P**/1 दिनांक 13.10.2008 का आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को प्राध्यापक (प्राचीन भारतीय इतिहास) के पद से निलंबित किया गया था एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

34. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur